तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/397/2002/श्रीगंगानगर सुभाषचन्द बनाम ग्राम पंचायत	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री प्रदीप विश्नोई, अधिवक्ता, अपीलान्ट
श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1 व 2

निर्णय

दिनांक 23.09.2020

अपीलान्ट ने यह अपील धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या–231/2001 में पारित निर्णय दिनांक 19–01–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने आदेश दिनांक 12–03–2001 से चक भागसर बारानी के प0न0 129/320 के किला नम्बर 2 से 5 एवं प0न0 128/320 के किला नम्बर 1 से 5 में रास्ता स्वीकृत किया, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने एक अपील संख्या 231/2001 राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की, जो उन्होंने निर्णय दिनांक 19–01–2002 से खारीज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की अंतिम बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी।

योग्य अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/397/2002/श्रीगंगानगर सुभाषचन्द बनाम ग्राम पंचायत	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलान्ट रास्ते में जाने वाली भूमि का खातेदार होने के बावजूद रास्ता स्वीकृतिकरण की प्रक्रिया में उसे सुना नहीं गया है इसलिये विचारण न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के अनुरूप निर्णय पारित नहीं किया है एवं इस बिन्दु पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी गौर न कर त्रुटि की है। उनका कथन है कि मुरब्बा नम्बर 128/320 की भूमि अपीलान्ट को आवंटित भूमि है जिसे राजकीय भूमि गलत बताकर अपीलान्ट को सुना नहीं जाकर उसकी अनुपस्थिति में रास्ता स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों ने त्रुटि की है। उनका कथन है कि वैकल्पिक मार्ग होने के बावजूद नया रास्ता स्वीकार किया गया है जो कानूनन उचित नहीं है अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय खारीज किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि रास्ते की स्वीकृति के दौरान मुरब्बा नम्बर 128/320 की आराजी राजकीय दर्ज थी और आवंटन के पुख्ता कागज अपीलान्ट द्वारा मण्डल के स्तर तक पेश नहीं किये गये है तथा अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने सम्पूर्ण जांच कर आमजन की सहूलियत हेतु रास्ता स्वीकार किया है जिसमें कोई त्रुटि निहित नहीं है इसलिये अपील खारीज की जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

उभयपक्षों की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प0न0 128 पर उत्तर से दक्षिण स्वीकृतशुदा रास्ता है तथा प0न0 130/320 में भी किला नम्बर 1 से 5 में पक्की सड़क है, जो आगे पुलिया से प0स0 129/320 व

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/397/2002/श्रीगंगानगर सुभाषचन्द बनाम ग्राम पंचायत	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

128/320 से जुड़ती है किन्तु उक्त दोनों मुरब्बो में रास्ता स्वीकृत न होने की स्थिति को देखकर अधीनस्थ न्यायालयों ने मुरब्बा नम्बर 129/320 के खातेदार नत्थूराम की सहमति से एवं मुरब्बा नम्बर 128/320 सिवायचक दर्ज होने से राजकीय एजेन्सी की अनुशंषा उपरान्त रास्ता स्वीकार किया है इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। प्रकरण में जहां तक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है वहां इस न्यायालय का यह मत है कि अपीलान्ट द्वारा मण्डल के स्तर तक ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह जाहीर होता हो कि मुरब्बा नम्बर 128/320 की आराजी उसके नाम दर्ज रही हो। चूंकि अधीनस्थ न्यायालयों ने सम्पूर्ण जांच कर विधिवत निर्णय पारित किये है जिनमें कोई सारवान त्रुटि न होने से इस अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारीज की जाकर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय यथावत रखे जाते है।

निर्णय प्रति नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों को भिजवाई जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य